


27-11-2019

पत्रावली पेश हुई, वकील अपीलांट व रेस्पोंडेंट नं० 1 उपस्थित । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 रूल 10 सी.पी.सी. का पेश किया । प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से रेस्पोंडेंट नं० 1 को कोई आपत्ति नहीं है । प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । उक्त अपील में प्रार्थना पत्र में अंकित तेजसिंह को रेस्पोंडेंट 2 चौथमल रेस्पोंडेंट नं० 3 बनाया जाता है, तदनुसार संशोधित टाईटल प्रस्तुत करें । इसके पश्चात आज ही अपीलांट व रेस्पोंडेंट नं० 1 लगायत 2 की ओर से विवादित रास्ते के सम्बन्ध में राजीनामा पेश किया, अपीलांट को श्री कल्पित शर्मा एडवोकेट द्वारा सिनाख्त किया गया एवं रेस्पोंडेंट नं० 1 को श्री रविन्द्र कुमार नागर एडवोकेट द्वारा सिनाख्त किया गया । रेस्पोंडेंट नं० 2 तेजसिंह को श्री प्रेमसिंह सोलंकी एडवोकेट द्वारा सिनाख्त किया गया अपीलांट व रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत राजीनामों को पढ़कर उपस्थित पक्षकारान को सुनाया गया दौनों पक्ष द्वारा स्वेच्छा से राजीनामा बिना किसी दबाव व प्रलोभन के आलेखित किया जाता है तथा सुनकर व समझकर राजीनामा में अंकित तथ्य सही होना स्वीकार किया । अतः राजीनामा स्वीकार किया जाकर तस्दीक किया जाता है । चूंकि प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है । पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो ।



जिष्णा कवोक्टर

कोटा